

न्याया राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर
बसुनवान.....अब्दुल वगैरहा.....बनाम.....प्रमोद वगैरहा.....

मुख्य बहस में अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा आलोच्य निर्णय पारित करते समय तीन तथ्यों प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति का विवेचन नहीं किया गया। अपीलाण्टान के अधिकारों का हनन किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार करते हुए तहत अदालत द्वारा पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश दिनांक 01.11.2022 को अपास्त किया जावे।

हमने अधिवक्ता अपीलाण्ट की एकपक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया और अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 01.11.2022 का अवलोकन किया गया।

माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की पूर्ण पीठ के निर्णय रिविजन/एसआर/9867/2012/नागौर निर्णय दिनांक 12.03.2014 द्वारा एक राजस्व न्यायालय को एकपक्षीय या अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधि0 1955 में सक्षमता के बारे में विस्तृत विवेचन किया गया है। इस विवेचन के अनुसार एक राजस्व न्यायालय को, अपवादस्वरूप स्थिति में, एकपक्षीय या अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने की सक्षमता, राज0 काश्तकारी अधि0 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत है, यदि प्रथम दृष्टया, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के तीन महत्वपूर्ण घटक प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित पाये जाते हैं।

द्वितीय; महत्वपूर्ण बिन्दु कि क्या ऐसे आदेशों की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी को धारा 225 राज0 काश्तकारी अधि0 1955 के अन्तर्गत ग्रहण करने की सक्षमता है? इसके विवेचन में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत जारी किये गये एकपक्षीय या अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेशों को सुनने की क्षेत्राधिकारिता है, परन्तु आगामी पेशी तक प्रभावी रहने वाले आदेशों के लिये नहीं है।

इस बाबत माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा निम्नलिखित मार्गदर्शन परीक्षण न्यायालय हेतु जारी किये गये हैं-

1. प्रथम तो परीक्षण न्यायालयों को ऐसे आदेश जारी करने से बचना चाहिए, परन्तु परिस्थितियों की माँग है तो, धारा 212 के तीनों घटकों की विद्वतापूर्ण परीक्षण करने पर यदि प्रकरण पया जाता है तो जारी किया जाना चाहिए।

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर



2. यदि ऐसा प्रकरण पाया जाता है कि एक पक्षीय या अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना अत्यन्तावश्यक है तो यह स्वस्पष्ट व तार्किक होना चाहिए और एक माह की अवधि में निस्तारित किया जाना चाहिए।

3. परीक्षण न्यायालय को ऐसे आदेशों की सूचना अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया जाने का प्रावधान बाध्यकारी है।

4. परीक्षण न्यायालयों के लिए यह बाध्यकारी है कि अस्थाई निषेधाज्ञा के ऐसे आदेश जो एकपक्षीय आदेश आदेश 39 नियम 3ए सीपीसी के तहत दिये गये हैं, उनको 30 दिवस की अवधि में निस्तारित किया जाना चाहिए।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। मुख्य बहस पर मनन किया गया।

यद्यपि यह तथ्य तो मूल वाद में साक्ष्य के आधार पर ही तय होगा कि रेस्पॉण्डेंट का किस प्रकार हित प्रभावित होगा ? चूंकि अपीलांट विवादित भूखण्ड आराजीयात पर दिनांक 23.03.2008 जरिये इकरारनामा से काबिज शुदा है। अतः इस आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण अपीलांट के पक्ष में पाया जाता है।

प्रथम, अदालत मातहत द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं की व्याख्या नहीं की गई है कि किस प्रकार ये तीनों घटक प्रार्थी/रेस्पॉण्डेंट के पक्ष में हैं।

द्वितीय, अदालत मातहत द्वारा पूर्ण पीठ का निर्णय दिनांक 12.03.2014 के मार्गदर्शनों की पालना नहीं की गई है।

तृतीय, तहत अदालत की आदेशिका में ऐसी किसी परिस्थिति का उल्लेख नहीं है कि प्रकरण 'अत्यन्तावश्यकता' का है, जिसके कारण एकपक्षीय अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी की गई है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी के आदेश दिनांक 01.11.2022 को विवादित आराजीयात खसरा नंबर 255/606 रकबा 0.05 हैक्टेयर बाके ग्राम गंगापुर तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर का प्रचलन स्थगित किया जाकर अदालत मातहत को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभय पक्षों को 'सुनवाई का युक्तिगुक्त' अवसर प्रदान करते हुए एक माह की अवधि में निस्तारण करें। निर्णय की एक प्रमाणित प्रति अदालत मातहत को प्रेषित की जावें।

पत्रावली को इसी स्तर पर निस्तारण किया जाकर दाखिल दफतर किया जावें। आदेश आज दिनांक 12.12.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर